कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःरिनु/जे0डी0/लखनऊ–13(जीएन)/310 दिनांकः ~~अगस्त~~ 6/9 2013

सेवा मे,

प्रबन्धक,
मैसर्स यूनिटेक लि0,
प्लाट नं0–09 सेक्टर पी–2 ग्रेटर नौएडा,
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स यूनिटेक लि0 प्लाट नं0–09 सेक्टर पी–2 ग्रेटर नौएडा, गौतमतमबुद्धनगर मे निर्मित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के (वर्ष 2013–2014) वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा द्वारा किया गया तथा उनकी आख्या दिनांकः 02–09–2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर/उपनिदेशक फा0स0 मेरठ द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 05–09–2013 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन को निर्गत पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत विवरण–रिनु/सीएफओ/जीबीएन–12 (जीएन)/1826 दिनांकः 14–09–2012।

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–96,137.05 वर्ग मी0।

क0स0	ब्लाक का नाम	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग वर्ग मी0 में।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	ऊचॉई मी0
1	टावर–09 से 12 तथा 14 से 19 तक (कुल 10 टावर)	6787.74	14689.295	44.60
2	कम्यूनिटी हाल	1225.59	1225.59	04
3	सर्विस ब्लाक	245.27	1058.4	04
4	कन्वीनियेन्ट शॉपिंग सेन्टर	299.818	799.818	5

2–बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–70,342.75 वर्ग मी0।

भवन का अधिभोगः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय भवन/शॉपिंग सेन्टर श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐंः–

1–पहुॅच मार्ग– भवन के सामने 24 मी0 चौडा रोड मानको के अनुसार उपलब्ध है एवं 04 अदद प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई 04.50 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2–सैटबेक– प्रश्नगत भवन के सेटबेक निम्नवत हैः–

अग्रभाग–25.00 मी0।
पृष्ठ भाग–09.00 मी0।
पार्श्व भाग–प्रथम–09.00 मी।
पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मीटर है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन निर्माण विनियमावली के सुंसगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निमार्ण कार्य मान्य नही होगा सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखें जायें।

3–निकास मार्गः– निर्मित भवन में निकास मार्ग पर्याप्त है।

4–रिफ्यूज एरियाः– निर्मित भवन में बालकानी का प्राविधान किया गया है।

अग्निशमन व्यवस्थाः– निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के सुसंगत मानको के अनुसार स्थापित पायी गयीः–

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय

1–होजरील:–प्रश्नगत निर्मित भवन मे होजरील, उपलब्ध है।

2–भूमिगत टैंक:– प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 (दो लाख) लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक उपलब्ध है।

3–पम्पस:–प्रश्नगत भवन मे पम्प मानक के अनुसार उपलब्ध है।

4–टेरिस टैंक:– प्रत्येक हाईराज टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 ली0 उपलब्ध है।

5–वेटराइजर/डाउनकमर:– प्रश्नगत निर्मित भवन में वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम उपलब्ध है।

6–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

7–मैनुवली आपरेटिड फायर अलार्म सिस्टम:– प्रश्नगत भवन में मैनुवली आपरेटिड फायर अलार्म सिस्टम स्थापित है।

8–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर अलार्म सिस्टम:– प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर अलार्म सिस्टम स्थापित है।

9–यार्ड हाईड्रेन्ट:– परिसर मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस उपलब्ध एवं कार्यशील है।

10–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– निर्मित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित है।

11–पी0ए0 सिस्टम:– उपलब्ध है।

12–एग्जिट साईनेज:–प्रश्नगत भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलताओं के आधार पर वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र वर्ष 2013–2014 हेतु निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2– भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ सदैव उपलब्ध रहे।

3– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4– भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5– प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6– वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय
लखनऊ।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपि:1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।